जब्बार के घर पर नपा ने चस्पा किया नोटिस

धर्मांतरण करने के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है तथाकथित फादर जब्बार खान, सह आरोपी पत्नी है फरार

- गत 17 अगस्त को कोतवाली पुलिस ने की थी कार्रवाई
- मामले में संलिप्त पुलिसकर्मी को भी किया निलंबित

नवभारत न्यूज

सीहोर. 20 अगस्त. कथित धर्मांतरण के मामले में पुलिस के शिकंजे में फंसे जब्बार खान की मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं. बुधवार को नगरपालिका ने जब्बार खान के हाउसिंग बोर्ड कालोनी के घर पर नोटिस चस्पा किया है जिसमें भवन अनुज्ञा एवं भूखंड से संबंधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं.

गौरतलब है कि गत 17 अगस्त को हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी जब्बार खान आ. जरदार खान को अपने घर में धर्मांतरण को बढ़ावा देने के आरोप में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था. धार्मिक संगठन विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस मामले का खुलासा किया था. इसके अलावा गोविंद मसुरे आ. रमेशचंद्र मसुरे द्वारा पुलिस को आवेदन देकर जब्बार खान व उसकी पत्नी ताहिरा खान के खिलाफ धर्मांतरण कराने के संबंध में शिकायती आवेदन पत्र भी दिया था. इसके आधार पर थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति- पत्नी के खिलाफ धारा 3/5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत अपराध घटित करना पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था. पुलिस ने धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसकी पत्नी ताहिरा खान फरार बताई जाती है. इस मामले में संलिप्त एक पुलिसकर्मी वीरेन्द्र अहिरवार को भी निलंबित करते हुए उसके खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ कर दी है. जब्बार खान की धर्मांतरण की करतूतों से जहां हिन्दू संगठनों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है, वहीं अब नपा ने भी जब्बार खान के खिलाफ टेढ़ी नजर कर ली है. बुधवार को नपा के कर्मचारी हाउसिंग बोर्ड कालोनी स्थित जब्बार खान के आवास पर पहुंचे. नपाकर्मियों की मानें तो उस वक्त घर के अंदर घर के अन्य सदस्य मौजूद थे. नपा के अमले ने नोटिस देने के लिए उन्हें बाहर बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला. मजबूर होकर नपाकर्मियों ने नोटिस को जब्बार खान के दरवाजे के समीप दीवार पर चस्पा कर दिया है. नपा द्वारा जारी इस नोटिस में जब्बार खान से उसके घर निर्माण की अनुमति व भूखंड संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है. इसके लिए उसे नगरपालिका द्वारा एक दिन की मोहलत दी गई है.

इधर धर्मांतरण के मामले में जेल की हवा खा रहे जब्बार खान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई थी, लेकिन न्यायालय द्वारा उसकी याचिका की सुनवाई को गुरुवार तक के लिए टाल दिया है. जब्बार की सह आरोपी पत्नी फरार बताई जा रही है.

सीहोर. बुधवार को नगरपालिका के अमले ने जब्बार खान के घर पर नोटिस चस्पा किया.

आरोपी की पत्नी को कर रहे तलाश

धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान की पत्नी ताहिरा खान की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार ठिकानों पर दबिश डाल रही हैं. शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इसके अलावा जब्बार खान के संबंध में अन्य जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं.

रविन्द्र यादव,
थाना कोतवाली प्रभारी

धर्मांतरण के आरोपी जब्बार के मकान निर्माण की नपा द्वारा कोई अनुमति दी गई हो या भूखंड संबंधी दस्तावेज जो उसके पास हों. उसे प्रस्तुत करने के लिए नपाकर्मी जब्बार के घर नोटिस देने गए थे, लेकिन घर में मौजूद लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो उसे दीवार पर चस्पा करते हुए एक दिन में कागज दिखाने को निर्देशित किया है.

सुधीर कुमार,
सीएमओ, सीहोर नपा

नर्मदा में टकराई दो नाव, एक मजदूर डूबा

- डिमावर में नर्मदा नदी से रेत भराई का काम कर रही थीं नावें
- एसडीआरएफ की टीम मजदूर की तलाश में जुटी

नवभारत न्यूज

भैरूंदा 20 अगस्त. जिले के भैरुंदा थानांतर्गत ग्राम दिमावर में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. नर्मदा नदी में रेत भराई का काम कर रही दो नावें आपस में टकरा गईं. इस टक्कर में बिहार निवासी 50 वर्षीय मजदूर नंद जी घायल हो गए और गहरे पानी में डूब गए. हादसे के दौरान नाव में चार मजदूर सवार थे. जैसे ही नाव डूबने लगी, तीन मजदूर तुरंत छलांग लगाकर नदी में कूदे और तैरते हुए किनारे पहुंच गए, लेकिन नंद जी नाव से टकराने के कारण गंभीर रूप से चोटिल हो गए और तैरकर बाहर नहीं निकल पाए. सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंची.

जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम डिमावर में नर्मदा नदी से रेत भराई का काम कर रही दो नावों में टक्कर हो गई. सूत्रों की मानें तो इस दौरान एक नाव के इंजन के पंखे की चपेट में मजदूर नंदजी आ गया और नदी में गिर गया. अन्य तीन मजदूर तो किनारे पर आ गए, लेकिन नंदजी डूब गया. सूचना मिलने पर एसडीएम, थाना प्रभारी व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों की मदद से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. कुछ ही देर में सीहोर से एसडीआरएफ की विशेष टीम भी पहुंची और सर्च अभियान संभाल लिया.काफी मशक्कत के बाद भी नंद जी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार नदी में सर्चिंग कर रही हैं. स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर डटे हैं और बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं। हादसे के कारण क्षेत्र में अफरा-तफरी और शोक का माहौल है. समाचार लिखे जाने तक मजदूर का सुराग नहीं मिल सका था.

इस घटना ने नदी में हो रहे अवैध रेत खनन और सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है. यहां मौजूद सभी मजदूर बिना किसी सेफ्टी उपकरण के गहरे पानी में उतरकर काम कर रहे थे. हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मजदूर की

एक दिन पहले पकड़ी थी सात पनडुब्बी

नर्मदा नदी से रेत के अवैध दोहन को लेकर खनिज विभाग गाहे बगाहे कार्रवाई करता है और उसे सफलता भी मिल जाती है. मंगलवार को सुबह 5 बजे से संयुक्त टीम द्वारा जिले की भेरूंदा तहसील क्षेत्र में छीपानेर, चोरसा खेड़ी में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 7 पनडुब्बी द्वारा रेत का अवैध खनन करते पाये जाने पर जप्ती की कार्यवाही की गई तथा पनडुब्बियों को थाना गोपालपुर में भेजा गया है.

एक नजर में

एसआरएलएम दल ने किया लोक अधिकार केंद्र का भ्रमण

बुधनी. देशभर के 20 राज्यों से आए एसआरएलएम प्रतिनिधियों के दल द्वारा बुधनी के लोक अधिकार केंद्र का फील्ड विजिट किया गया. भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने लोक अधिकार केंद्र में चल रही गतिविधियों का अवलोकन किया. इस दौरान लोक अधिकार ओवरव्यू प्रस्तुत किया गया. जिसमें स्टीयरिंग कमेटी की भूमिका पर चर्चा की गई. इसके साथ ही लोक अधिकार केंद्र की स्थापना, प्रक्रिया और केस प्रवाह के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई. आयोजित केस शेयरिंग सत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक स्तरों के अनुभव साझा किए गए. इस अवसर पर असिस्टेंट स्टेट प्रोग्राम मैनेजर नेमचंद जाटव, जिला एवं ब्लॉक एसआरएलएम टीम के सदस्य, चारों सीएलएफ के अध्यक्ष, सखी मंच की दीदियां सहित कई प्रतिभागी मौजूद थे.

शिक्षक संघ ने क्रमोन्नति के संबंध में सौंपा ज्ञापन

सीहोर. प्रांतीय शिक्षक संघ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के नाम सहायक संचालक सलोनी शर्मा को शैक्षणिक संवर्ग की समस्याओं के निराकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया. इस अवसर पर सतीश त्यागी, संजय सक्सेना, प्रदीप नागिया, बद्री प्रसाद वर्मा, विनोद प्रजापति, मोह मद शफी, अर्जुन सिंह, राजेश तिवारी, गोपाल कृष्ण त्यागी, जितेन्द्र शर्मा, चन्दर सिंह वर्मा, शाहिद अफजाल, जितेन्द्र सकवालिया, मांगीलाल विश्वकर्मा, नितेश जायसवाल, आलोक श्रीवास्तव, राजेन्द्र वर्मा, सुरेन्द्र मालवीय, मीना यादव, भारती वर्मा, टीना ठाकुर, अल्ताफ खान, जितेन्द्र सिंह ठाकुर, अमित जोशी, अनिल वर्मा, रवि मालवीय, मुकेश मालवीय, शरद मालवीय, शांतिलाल सूर्यवंशी, दीप सिंह मालवीय, तिलक वर्मा, विनोद खाती, नन्दकिशोर पटेल, नीरज विश्वकर्मा, एसआर बरखने, मुकेश बैरागी, कमलेश वर्मा, राजेश मेवाड़ा, कपिल बिसोपिया आदि उपस्थित थे.

नपाध्यक्ष राठौर ने किया विकास कार्यों का भूमिपूजन

सीहोर. शहर को सुंदर बनाने के लिए हमें लोगों को जागरुक करने के साथ-साथ मिलकर कार्य करना चाहिए. स्वच्छता एक अच्छी आदत है, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है. क्षेत्रवासियों के सहयोग से हम प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर है और इसी तरह सहयोग रहा तो आने वाले समय में देश के प्रथम स्थान पर होंगे. उक्त उद्गार बुधवार को लाखों की सौगात देते हुए नपाध्यक्ष प्रिंस राठौर ने कहे. इस मौके पर पार्षद संतोष शाक्य, उपाध्यक्ष विपिन शास्ता, विजेन्द्र परमार, कमलेश राठौर, अजय पाल सिंह राजपूत, मांगीलाल मालवीय के अलावा सहायक इंजीनियर विजय कोली के अलावा नपा का अमला, क्षेत्रवासी शामिल थे. वार्ड 14 के अंतर्गत 5 लाख 68 हजार से चंद्रशेखर के घर से प्रकाश कुशवाहा के घर तक के सीसी रोड़ के निर्माण कार्य, 12 लाख 35 हजार से राजेन्द्र पांडे के घर से फारेस्ट आफिस तक सीसी रोड़, इसके अलावा 15 लाख से अधिक एक अन्य मार्ग का भूमिपूजन भी किया गया.

फुटबांल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल आज

सीहोर. चर्च मैदान में राज्य स्तरीय महिला फुटबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता में प्रदेश की करीब 16 टीम शामिल हुई. इसमें चार टीम ने लीग मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में स्थान प्राप्त किया. अब गुरुवार को प्रतियोगिता के दो सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे. फुटबाल संघ के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि गुरुवार को चर्च मैदान पर पहला मैच दोपहर एक बजे सीहोर-मंडला के अलावा दूसरा मैच इंदौर-धार के मध्य दोपहर तीन बजे खेला जाएगा.

गौवंश से कुकृत्य करने का आरोपी धराया

- बीती रात उसके कुकर्म का एक युवक ने वीडियो बनाया था
- पुलिस ने आरोपी को तत्काल तलाश करते हुए दबोचा

नवभारत न्यूज

सीहोर 20 अगस्त. कुछ ही दिन पूर्व आष्टा में गौवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि मंगलवार की देर रात जिला मुख्यालय पर भी ऐसी शर्मनाक हरकत ने लोगों को आक्रोशित कर दिया. हालांकि पुलिस ने तत्परता बरतते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय प्यारे मियां आ. सलीम मूलत: बिहार का रहने वाला है जो सराय की एक होटल पर काम करता है. जबकि उसका आधार कार्ड भोपाल के नीलम पार्क के समीप का बना बताया जा रहा है. बीती रात को वह थाना कोतवाली अंतर्गत मुकेरी मोहल्ले में गौवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर रहा था. जिसे वहां से गुजर रहे एक युवक ने देखा और उसका वीडियो बना लिया था. उसने आज पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने तत्काल आरोपी की तलाश शुरू करते हुए आरोपी प्यारे मियां आ. सलीम को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश का माहौल निर्मित हो गया. उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. बीते दिनों आष्टा तहसील मुख्यालय पर भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. भाजपा नेता कालू भट्ट ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था. पुलिस ने उस मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. निरीक्षक रविंद्र यादव, उप निरीक्षक कौशलेंद्र सिंह बघेल, प्रधान आ.रामबाबू वर्मा, आरक्षक अमन दुबे, चेतन चौहान, कृष्णकांत, कपिल भार्गव आदि की महती भूमिका रही.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

नवभारत न्यूज

सीहोर 20 अगस्त. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कृत्य करने वाले पिता के मित्र आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया.

घटना के संबंध में विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने बताया कि पीड़िता की मां ने भैरूंदा थाने में 30 मई 24 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उक्त दिनांक को शाम करीब 7 बजे उसकी 5 वर्षीय बेटी आंगन में खेल रही थी, तभी उसके पति का दोस्त धन्नालाल जाट आया व बच्ची से कहा कि चल हम दूध लेकर आते हैं और तुझे चीज दिलाने के बाद घर छोड़ दूंगा. यह कहकर धन्नालाल बच्ची को ले गया. जब कुछ देर बाद बच्ची को धन्नालाल वापस लेकर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की पर वह कहीं नहीं मिला. लेकिन रात साढ़े 9 बजे धन्नालाल बच्ची को लेकर आया. तब बच्ची ने अपनी मां को बताया कि धन्नालाल उसे लेकर पास के जंगल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कृत्य किया.

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को दोषी आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया. न्यायालय द्वारा पीड़ित परिवार को एक लाख रुपए दिलवाए जाने की अनुशंसा की.

पार्वती बाई ने स्कूल के लिए दान की जमीन

नवभारत न्यूज

बुधनी 20 अगस्त. ग्राम बरखेड़ा निवासी श्रीमती पार्वती बाई पति विक्रम सिंह भाटी ने शिक्षा के उत्थान के लिए एक प्रेरणादायी कदम उठाया है. उन्होंने अपने निजी स्वामित्व की 1 एकड़ 11 डेसीमल भूमि विद्यालय निर्माण के लिए दान कर दी.

उनके इस पुनीत कार्य ने न केवल पूरे क्षेत्र में उदाहरण प्रस्तुत किया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि अगर व्यक्ति चाहे तो समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकता है. शासन ने भी उनके इस योगदान की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया है. अधिकारियों ने कहा कि पार्वती बाई का यह प्रयास शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम है और इससे बरखेड़ा सहित आसपास के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा मिलेगी. ग्रामीणों ने भी उन्हें गांव की शान बताते हुए कहा कि यह दान कार्य आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद रहेगा.

पीड़ित मानवता की सेवा ही कांग्रेस का लक्ष्य : गुजराती

- कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राजीव गांधी को याद
- रक्तदान शिविर में अनेक युवाओं ने किया ब्लड डोनेट

नवभारत न्यूज

सीहोर 20 अगस्त. भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81 वी जयंती के अवसर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया.

शिविर में राजीव गुजराती ने रक्तदान कर रक्तदान कार्यक्रम की शुरुआत की. इसके बाद विवेक राठौर, हर्षदीप राठौर, घनश्याम यादव, अजय रैयकवार, तारा यादव, दिव्यांश मालवीय, तनिष्क त्यागी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया.

इस अवसर पर निशांत वर्मा, विवेक राठौर, हर्षदीप राठौर, प्रीतम चौरसिया, जफरलाला, सुनील दुबे, रमेश गुप्ता, घनश्याम यादव, सीताराम भारती, नरेन्द्र खंगराले, राकेश वर्मा, सुरेश ठाकुर, तारा यादव, ममता शर्मा, कपिल गौर, जितेन्द्र राजपूत, भंवरलाल पाटिल, तुलसी राठौर, केके रिछारिया, भगत तोमर, राधे श्याम यादव, मुकेश खजुरिया, मोहन वर्मा, अक्षत सेंगर, यश यादव, तनिष्क त्यागी, मोनू शर्मा, हरिओम सिसोदिया, दिव्यांश मालवीय, लक्की सक्सेना, गजराज परमार, ब्रजेश पाटीदार, ओम सोनी सहित कांग्रेसजन मौजूद थे.

अव्यवस्थाओं को लेकर शर्मा ने सौंपा ज्ञापन

सीहोर. श्री विट्ठलेश सेवा समिति और प्रदीप मिश्रा द्वारा 6 अगस्त को सीहोर में निकाली गई कांवड़ यात्रा में बदइंतजामी के चलते हुई मौतों तथा खुलेआम डीजे बजाकर शासन के निर्देशों की अवहेलना को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने मानव अधिकार आयोग में एक ज्ञापन सौंपा है. पंकज शर्मा ने प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वरधाम में पिछले 5 वर्षों में समिति की अव्यवस्थाओं और भगदड़ के चलते हुई मौतों और घायलों के सही आंकड़े पता करके इसमें समिति और प्रदीप मिश्रा की जि मेदारी तय कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है. पंकज शर्मा ने मृतकों और पीड़ितों के परिजनों को समिति द्वारा उचित मुआवजा दिलाए जाने तथा भविष्य में पर्याप्त इंतजाम करने और ऐसी घटनाएं ना होने का शपथ पत्र लेने की भी मांग की है और यदि भविष्य में वहां ऐसी कोई घटना होती है, तो समिति का पंजीयन रद्द कर उसकी सारी संपत्तियां राजसात की जानी चाहिए. पं. मिश्रा को सीहोर नपा ने स्वच्छता का ब्रांड एंबेसडर बना रखा है, जो समझ से परे है. नपा तत्काल उनको स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर के पद से भी हटाए.

कार्रवाई पुलिस ने किया 10 लाख रुपए का विस्फोटक जब्त

अवैध विस्फोटक पदार्थ का जखीरा पकड़ा

नवभारत न्यूज

भैरूंदा 20 अगस्त. पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थ रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए करीबन 10 लाख रुपए कीमती 72 कार्टून पटाखों के जप्त किए हैं. त्योहारों के पहले इन्हें खपाने की फिराक में थे आरोपी. इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

गत दिवस भैरुंदा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नसरुल्लागंज रोड ग्राम तिलाडिया मे भवानीसिंह राजपूत के खेत पर बने मकान के शटर वाले कमरे मे अवैध रुप से विस्फोटक पदार्थ पटाखे रखे हुए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति सुनीता रावत एवं एसडीओपी रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम दांगी द्वारा टीम गठित की गई. पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान भवानीसिंह राजपूत के खेत पर बने मकान के पर दबिश दी गई, जहां मकान के शटर वाले कमरे मे प्लास्टिक के कार्टूनो मे अवैध विस्फोटक पदार्थ रखे मिले. जिनके संबंध में भवानीसिंह राजपूत के हाली से पूछा गया जिसने बताया कि मुझे जानकारी नही है ये किसके है. थोड़े समय बाद एक व्यक्ति उपस्थित आया, जिससे उसका नाम पता पूछा जिसने अपना नाम शैलेन्द्र यादव पिता मस्तान सिहं यादव उम्र 39 साल निवासी ऋषिनगर कालोनी भैरुंदा का होना बताया जिसके द्वारा बताया कि शटर के कमरे मे मेरे पटाखे रखे हुए हैं. जिसमें देखा गया कि उक्त कमरे पुस्टे वाले कार्टून रखे हुए थे. उपस्थित पंचान जेतराम पिता गुलाबसिंह बारेला उम्र 55 साल निवासी आमाझीरी थाना रेहटी एवं लोकेन्द्र पिता प्रेमनारायण सेन उम्र 26 साल निवासी गुलाब बिहार कालोनी भैरुंदा के समक्ष कार्टूनो को खुलवाकर देखा गया जिसमें विस्फोटक पदार्थ फटाके भरे हुए थे. उपस्थित पंचान के समक्ष शैलेन्द्र यादव पिता मस्तान सिहं यादव उम्र 39 साल निवासी ऋषिनगर कालोनी भैरुंदा से उक्त पटाखों के रखने, बैचने एवं परिवहन के संबंध मे लायसेंस का पूछा गया तो कोई लायसेंस नही होना बताया गया. मामला प्रथम दृष्टया धारा 9 ख विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 288 बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध पाया जाने से शैलेन्द्र यादव के कब्जे से पटाखों के कार्टूनो को जप्त किया गया. जप्तशुदा पटाखों की कीमत करीबन 10 लाख रुपये है.

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार, Svatantra Micro Housing Finance Corporation Limited (SMHFC), शाखा प्रबन्धक सीहोर द्वारा (1) श्री मोहम्मद वकील पिता श्री कुर्बान खान, (2) श्रीमती सायना बी पति श्री मो वकील, निवासी- पुराना बस स्टेण्ड सैय्यद मोहल्ला गंज, सीहोर तहसील सीहोर, व जिला सीहोर म.प्र. को उनके स्वत्व स्वामित्व की संपत्ति नगर सीहोर में स्थित आवासीय मकान क्रमांक 142, वार्ड क्रमांक 16 सैय्यद मोहल्ला गंज, नगर पालिका परिषद क्षेत्र सीहोर तहसील सीहोर व जिला सीहोर (म.प्र.),जिसका कुल क्षेत्रफल: 680 वर्ग फीट है, जिसकी चतुर्सीमा-पूर्व की और गली एवं सलीम खान का मकान। पश्चिम की और गली एवं कादीर खान का मकान। उत्तर की और रोड़ एवं अखवर का मकान। दक्षिण की और एजाज भाई का मकान है। जिस पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। उक्त संपत्ति (1) श्री मोहम्मद वकील पिता श्री कुर्बान खान, (2) श्रीमती सायना बी पति श्री मो वकील को ई-रजिस्टर्ड सह स्वामित्व विलेख क्रमांक MAP44IGR18482025A100733660, दिनांक 20/08/2025 के माध्यम से सह स्वामित्व किया गया है।

यदि उक्त प्लाट/मकान/दुकान पर उक्त वर्णित दस्तावेज या अन्य किसी लिखित या मौखिक माध्यम से किसी भी शासकीय अर्ध-शासकीय संस्था, व्यक्ति/संस्था/सोसायटी आदि का रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड ऋण / भार/ बोझ /मेंटेनेंस / फ़ाइनेंस / प्राइवेट फ़ाइनेंस, जमानत, चार्ज, गिरवी, दान, बक्षीस का भार हो या किसी तरह से हित अधिकार, स्वत्व, सुखाधिकार, दावा/आपत्ति हो या अर्जन कार्यवाही लंबित हो, निगमित निकाय/संस्था व्यक्ति का हित उजर आदि हो तो मय लेखी प्रमाण के हमारे कार्यालय में 07 दिन में लिखित आपत्ति दर्ज करावे। बाद मियाद के किसी भी प्रकार की उजर आपत्ति, दावा आदि मान्य नहीं होगी तथा हमारे पक्षकार पर बंधनकारक नहीं होगी, सो सूचित हो।

इति दिनांक 20/08/2025

भवदीय
राहुल गेहलोत (अभिभाषक)
कार्यालय: सिन्धी धर्म शाला के सामने KV pharma के पास, सीहोर (म.प्र.)मो. 9907642719, 8770856754

जाहिर सूचना

प्रथम पक्षकार/नाम विक्रेता:- 1. श्री दीपेन्द्र सिंह आ.श्री नरवर सिंह आयु वयस्क जाति ठाकुर निवासी व भू-स्वामी ग्राम दोराहा तह दोराहा जिला सीहोर। **2.** श्री इशाक अली आ.श्री नजरअली आयु वयस्क जाति फ़क़ीर निवासी व भू-स्वामी ग्राम दोराहा तह. दोराहा जिला सीहोर। **3.** श्री इमरान खान आ.श्री शब्बीर खान आयु वयस्क जाति शेख निवासी व भू-स्वामी ग्राम दोराहा तह. दोराहा जिला सीहोर। **द्वितीय पक्षकार/ नाम क्रेता: 1.** श्री मनोज कुमार मीणा आ.श्री रामकिशन मीणा आयु वयस्क जाति देशवाली निवासी एयरपोर्ट सिटी गांधीनगर तह. हुजुर अ.न.6207 9848 4694 **2.** श्री ललित राघव आ.श्री सुरेन्द्र राघव आयु वयस्क जाति हिंदु निवासी इंद्रा नगर शर्मा फार्म रोड़ पटेल भुस की टाल के पास चार शहर का नाका गिर्द ग्वालियर सिटी ग्वालियर। आ.न.5359 5908 7808, **3.** प्रतीक कुमार पाटीदार आ. जगदीश चंन्द्र पाटीदार आयु व्यस्क निवासी अवधपुरी स्टेशन बरखेड़ा पठानी तह.हुजूर जिला भोपाल। **विक्रय भूमि का विवरण:-** विक्रेता के स्वत्व व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम झरखेड़ा तह. दोराहा पटवारी हल्का न.. राजस्व निरीक्षक मंडल 02 विकास खण्ड सीहोर में स्थित है जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से सम्पत्ति के नाम संबोधित किया गया है। जिस भूमि खसरा क्रमांक 236/4/1/2 किता 01 कुल रकबा 0.1760 हे. यानी रकबा 18,950/-स्क्वायर फिट भूमि को 14.08.2025 को इस अनुबंध पत्र के माध्यम से विक्रय दिया जा रहा है। **विक्रय कीमत:-** उक्त संपत्ति का सौदा 600/-रु. स्क्वायर के हिसाब से विक्रय किया जाना तय किया जा रहा है। **बयाना कीमत:** भूमि की बयाना राशि 11,000 रुपये 14.08.2025 को नगद दो गवाह के समक्ष प्रथम पक्षकारों/विक्रेतागण ने प्राप्त कर लिए हैं। जैसा की हम प्रथम पक्षकार उक्त वर्णित विक्रय सम्पत्ति के क मात्र मालिक एवं स्वामी है। तथा उक्त वर्णित संपत्ति प्रथम पक्षकार के ही अधिपत्य में है जिसके विक्रय, दान, बंधक, गिरवी, हस्तांतरण आदि के समस्त अधिकार प्रथम पक्षकार को प्राप्त है एवं जिसे अब प्रथम पक्षकार गण विक्रय करना चाहता है। जिसे क्रय करने के लिए द्वितीय पक्षकार ने सहमति प्रकट की है। 1. यह कि उक्त सम्पत्ति आज दिनांक तक कहीं रहन, दान, बंधक, विक्रय हस्तांतरण हिबा इत्यादि नहीं है जो कि हर प्रकार के कर सरकारी एवं गैर सरकारी, स्त्रीधन से पूर्णत: पाक व साफ होकर भार मुक्त है। अत: यह टोकन रशीद यानी अनुबंध अपने पूर्ण राजी-खुशी, बगैर किसी जोर व दबाव के पूर्ण होशों हवास में दो गवाह के समक्ष हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया गया है जो कि जरूरत पर प्रमाण स्वरूप काम आवे। यदि किसी को आपत्ति हो तो 8370000084 पर संपर्क करें।